BOMB BLAST AT PLATFORM NO. 2 OF AHMEDABAD RAILWAY STATION ON 19TH FEBRUARY, 2006

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): सभापति जी, मैं बहुत दुखी हृदय से सदन को सूचित कर रहा हूं।

श्री सभापति: कृपया आप दुखी हृदय से मत बोलो, मैं दुखी हो जाऊंगा।

श्री लालू प्रसाद: सर, यह घटना गुजरात में हुई है।

श्री सभापति: गुजरात में हुई है, लेकिन दुखी हृदय से नहीं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: सर, मैं बहुत दुखी हृदय से सदन को सूचित कर रहा हूं कि दिनांक 19.2.2006 को गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर सुबह लगभग 01 बजकर 43 मिनट पर भीषण बम विस्फोट की घटना हुई है।

यह बम विस्फोट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर एसटीडी/पीसीओ बूथ के पास हुआ.जिसके परिणामस्वरूप 25 व्यक्ति घायल हो गए। इनमें से 15 घायलों को तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में ले जाया गया और 10 घायलों को स्टेशन पर प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया। अस्पतालों में भर्ती किए गए 15 व्यक्तियों में से 12 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनका उपचार चल रहा है। मामूली रूप से घायल सभी व्यक्तियों को 500 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

यह बम विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि प्लेटफार्म की एसेबैस्ट छत के टुकड़े इधर-उधर फैल गए और निकटवर्ती एसटीडी बूथ और चाय के स्टॉल को भारी नुकसान हुआ। इस विस्फोट से मुख्य प्रवेश द्वार और प्लेटफार्म नंबर 1 के कई कमरों पर लगे शीशे टूट कर इधर उधर बिखर गए। रेलवे सम्पति को अनुमानत: दो लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

उल्लेखनीय है कि गाड़ी संख्या 4708 बांद्रा टर्मिनल-बीकानेर रनकपुर एक्सप्रेस बम विस्फोट की घटना के थोड़े समय पहले ही अहमदाबाद स्टेशन से गई थी तथा गाड़ी संख्या 9031 मुम्बई सैंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रैस लगभग 15 मिनट के पश्चात स्टेशन पहुंचने वाली थी। सौभाग्यवश कोई गाड़ी बम विस्फोट के समय स्टेशन परिसर में नहीं खड़ी थी, अन्यथा जान-माल की भारी हानि हो सकती थी। घटना के समय प्लेटफार्म नम्बर 2 पर जी॰आर॰पी॰ के तीन तथा रेल सुरक्षा बल के दो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।

विस्फोट की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय पुलिस तथा रेलवे पदाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मिल-जुल कर राहत तथा बचाव कार्यों का संचालन

किया। पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने भली-भांति जांच के लिए स्टेशन को अपनी निगरानी में ले लिया और गाड़ी परिचालन को तुरंत रद्द कर दिया गया।

प्लेटफार्म नं॰ 2 पर 01 बजकर 45 मिनट से 04 बजकर 25 मिनट तक गाड़ी परिचालन पूरी तरह बंद रहा। इस घटना के कारण निम्नलिखित गाड़ियों को नियंत्रित करके विलम्ब से चलाना पड़ा:-

1. गाड़ी संख्या 9031-मुम्बई सैंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रैस (अप)
2. गाड़ी संख्या 9032-मुम्बई सैंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रैस (डाउन)
3. गाड़ी संख्या 9017-बांद्रा टर्मिनल-जामनगर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रैस
4. गाड़ी संख्या 4847-जोधपुर-बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रैस
5. गाड़ी संख्या 9116-बांद्रा टर्मिनल-भुज शायाजी नगरी एक्सप्रैस
6. गाड़ी संख्या 2934-मुम्बई सैंट्रल-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रैस
7. गाड़ी संख्या 239 (डाउन)-बोरीवली-अहमदाबाद पैसेंजर
8. गाड़ी संख्या 716-अहमदाबाद-बड़ौदा मेमू।

अनुसंधान के लिए यथोचित कार्यवाही के पश्चात गाड़ी परिचालन बहाल कर दिया गया।

पुलिस निरीक्षक/राजकीय रेलवे पुलिस, अहमदाबाद ने आईपीसी की धारा 324, 427, 120 (बी), 307 और लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसकी सीआर नं॰ 52/06, दिनांक 19.02.2006 है और आगे जांच के लिए अहमदाबाद की नगर अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विस्फोट की भीषणता को देखते हुए विस्फोट में आर॰डी॰एक्स॰ के प्रयोग की पूर्ण संभावना है।

राजकीय रेल पुलिस अधिकारियों के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है। राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा स्टेशन की चौबीसों घंटे संयुक्त गश्त लगाई जा रही है। अतिरिक्त खोजी कुत्ते सेवा में लगाए गए हैं। राज्य रिजर्व पुलिस व रेलवे सुरक्षा विशेष बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति व रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु तत्काल प्रभाव से तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at forty-nine minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 22nd February, 2006.

MGIPMRND—963RS—25-09-2006.